सचिव
माननीय राज्यपाल, राजस्थान

सत्यमेव जयते

लोक भवन, जयपुर - 302 006
राजस्थान,
फोन : +91-141-2228792
फैक्स : +91-141-2221156

क्रमांक : एफ.43(2)आरबी / 2023 / 4901
दिनांक : 22 अगस्त, 2026

प्रो. निष्ठा जसवाल,
कुलगुरू,
डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।

महोदया,

लोक भवन के आदेश क्रमांक 5058–5059 दिनांक 25.09.2023 के द्वारा प्रो. अनिल कुमार राय को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर का कुलगुरू नियुक्त किया गया था।

प्रो. अनिल कुमार राय, कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर ने ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली उत्तर प्रदेश में कुलपति के पद पर चयन होने के कारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर के कुलगुरू पद से दिनांक 23.08.2026 अपरान्ह् से त्यागपत्र स्वीकार करते हुए कार्यमुक्त किये जाने हेतु निवेदन किया था।

लोक भवन के आदेश क्रमांक 4899–4900 दिनांक 22.08.2026 के माध्यम से प्रो. अनिल कुमार राय, कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर को दिनांक 23.08.2026 को अपरान्ह से कुलगुरू पद से कार्यमुक्त किया गया है, जिसके कारण विश्वविद्यालय में कुलगुरू का पद रिक्त हो गया है।

उपर्युक्त क्रम में निवेदन है कि नियमित कुलगुरू की नियुक्ति हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर में खोजबीन समिति का गठन किया जा चुका है एवं उक्त विश्वविद्यालय में नियमित कुलगुरू की नियुक्ति में समय लगने की संभावना प्रतीत होती है। साथ ही उक्त विश्वविद्यालय में कामचलाऊ व्यवस्था किये जाने हेतु राज्य सरकार की सलाह प्राप्त होने में भी समय लगने की संभावना प्रतीत होती है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रो. निष्ठा जसवाल, कुलगुरू, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर में कामचलाऊ व्यवस्था हेतु अतिरिक्त प्रभार के रूप में लगाये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः मैं, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार आपको अग्रिम आदेशों अथवा राज्य सरकार से उक्त संबंध में सलाह प्राप्त होने तक कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर के कुलगुरू के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

भवदीय,

(डॉ. पृथ्वी)

क्रमांक : एफ.43(2)आरबी / 2023 / 4902 दिनांक : 22 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. कुलगुरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. कुलसचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान